Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **हनुमानगढ में सरकारी अध्यापक पुलिस के लिए 1 लाख 50 हजार रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी**

जयपुर, *10 सितम्बर।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर हनुमानगढ इकाई द्वारा आज शुक्रवार को श्रीगंगानगर में कार्यवाही करते हुये भीमसैन प्रबोधक (सरकारी अध्यापक) रा0प्रा0विधालय 1 जेकेएम तहसील श्री विजयनगर जिला श्रीगंगानगर को परिवादी से 1 लाख 50 हजार रुपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि हनुमानगढ इकाई को परिवादी ने शिकायत दी कि '' उसके विरूद्ध थाना जैतसर जिला श्रीगंगानगर में दर्ज मुकदमें में एफ0आर0 लगाने की एवज में थानाधिकारी का रीडर रमेश कुमार मीना अपने दलाल भीमसैन के माध्यम से 2 लाख रूपये रिश्वत मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी की हनुमानगढ इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री तेजपाल** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज पुलिस निरीक्षक श्री सुभाषचन्द व उनकी टीम द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुये भीमसैन पुत्र श्री निकूराम औड निवासी 15 जीबी (8 बीजेडी) वीपीओ 12 जीबी तहसील श्री विजयनगर जिला श्रीगंगानगर हाल प्रबोधक (सरकारी अध्यापक) रा0प्रा0विधालय 1 जेकेएम, तहसील श्री विजयनगर जिला श्रीगंगानगर को परिवादी से 1 लाख 50 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी जैतसर के रीडर रमेश कुमार मीना की भूमिका की जांच की जा रही है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपी के आवास एवं अन्य ठिकानों की ए.सी.बी. टीमों द्वारा तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** **1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।